पटना में दिनांक–30 जुलाई, 2015 वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

1.	क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कुल 40 (चालीस) अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

2.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के स्थापना व्यय एवं अन्य व्यय के निमित्त रू० 2,50,00,000/–(दो करोड़ पचास लाख रूपये) की राशि सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

3.	पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Cr. Appeal (DB) No.-191/2009 में दिनांक–25.02.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–25A के अनुरूप तीन माह के अंदर निदेशक, अभियोजन एवं उप निदेशक, विधि के पद एवं अन्य आनुसंगिक पदों का सृजन करते हुए अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु कुल 64 (चौंसठ) पदों के सृजन एवं इसके साथ–साथ महानिदेशक, अभियोजन, अपर महानिदेशक, अभियोजन एवं उप महानिदेशक, अभियोजन के पदों को प्रत्यार्पित करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

4.	दिनांक–24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक–05.07.2015 से दिनांक–04.01.2016 तक अवधि विस्तार के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. बिहार राज्य में कोषागारों तथा वित्त विभाग के आधुनिकीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन (CFMS) योजना के कार्यान्वयन हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर चयनित परामर्शी National Institute of Smart Governance (NISG) को पूर्व में दिए गए दो Stage के कार्य के अतिरिक्त बचे हुए दो Stage हेतु रू० 60 लाख (सेवाकर अलग से) की अनुमानित लागत पर कार्य हेतु Consultant चयनित करने तथा CFMS परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु Nodal Agency के रूप में BSEDC को नामित करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों तथा आयुष पद्धति चिकित्सक एवं शिक्षक सहित (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. बिहार कोषागार संहिता, 2011 में संशोधन के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

10. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के अधीन त्रैमासिक विवरणी RT-1 संशोधित त्रैमासिक विवरणी RT-V एवं वार्षिक विवरणी RT-III में संशोधन, परावर्ती बिन्दुओं पर MRP वस्तुओं की बिक्री करने वालों व्यवहारियों के लिए वार्षिक विवरणी RT-IIIA का अंतःस्थापन एवं इस निमित्त नियमावली के नियम 19(3)(C) में संशोधन, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपण के लिए औपबंधिक कर की राशि के परिमापण हेतु नये नियम तथा नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत ऑन लाईन रोड अनुज्ञा पत्र की सुविधा निष्क्रिय करने हेतु नये नियम के अन्तःस्थापन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. रूपसपुर थाना भवन के निर्माण हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के तहत पटना जिला के दानापुर अंचल अन्तर्गत मौजा धनौत, थाना सं०–20, खाता सं०–463, खेसरा सं०–322 रकबा 0.16 एकड़ (सोलह डिसमिल) गैर मजरूआ आम भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित राजस्व विभागीय राज्यादेश सं०–421 (6)/रा०, दिनांक–27.05.2009 (छायाप्रति संलग्न) को निरस्त करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर अंचल अन्तर्गत खड़गपुर झील से फ्लोराईड प्रभावित खैरा एवं अन्य समीपवर्ती ग्रामों को पेय जल आपूर्ति हेतु पाईप जलापूर्ति योजना की स्थापना हेतु अंचल–हवेली खड़गपुर मौला–रमनकावाद में अवस्थित जल संसाधन विभाग, बिहार के स्वामित्व में कुल रकबा–9.92 एकड़ किस्म परती भूमि (भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

13. भू–अर्जन से संबंधित प्रथम अपील के मामलों में कुल सन्निहित मुआवजा की राशि के पुनर्निर्धारण के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक राजगीर (नालंदा) में "जू सफारी" का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल ₹ 5964.05 लाख (उनसठ करोड़ चौंसठ लाख पाँच हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ ₹) की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 14. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2015–16 में ब्रेडा के वेतन एवं वेतनादि के अलावा गैर योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में ₹ 9.0427 करोड़ (नौ करोड़ चार लाख सताईस हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त श्री सतीश सिंह ठाकुर की सेवा दिनांक–20.10.2015 के उपरान्त एक वर्ष के लिए दिनांक–20.10.2016 तक पूर्व निर्धारित शर्त्तों पर विस्तारित किये जाने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10710, दिनांक–17.10.2013 के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–11.12.90 तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु पदों के सृजन के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. सीतामढ़ी जिलाधीन मीनापुर–बेलसंड पथ में बागमति नदी पर पहुँच पथ निर्माण, बचाव कार्य एवं भू–अर्जन आदि कार्य सहित 18x24m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 7089.38 लाख (सत्तर करोड़ नवासी लाख अड़तीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत बड़ी मठ (परवलपुर) से देवरिया भाया भुरगावाँ, रामगंज, भैजरा पथ के कि०मी० 0 से 22 (कुल 22.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में रिजिड पेभमेंट कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, विविध कार्य, Utility Shifting, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 4878.35 लाख (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पैंतीस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. पटनासिटी/पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत मोरियामा (SH-2) में परेब (कोईलवर) भाया सिकरिया–खजुरिया एवं लई पथ के कुल 10.60 कि०मी० पथांश लंबाई में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 2770.65 लाख (सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख पैंसठ हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक पटना के विभिन्न पार्कों के निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में ₹ 3240.50 लाख एवं आवर्ती व्यय के रूप में ₹ 2375.84 लाख कुल ₹ 5616.34 लाख (छप्पन करोड़ सोलह लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत अनावर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹ 1044. 275 लाख तथा आवर्ती व्यय के रूप में कर्णांकित राशि में से ₹ 517.007 लाख कुल ₹1561.282 लाख (पन्द्रह करोड़ एकसठ लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ ₹) वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 21. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

22. पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान, बोधगया की स्थापना हेतु राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान सोसाईटी, बोधगया (SIHMS) को गया जिलान्तर्गत अंचल एवं मौजा बोधगया, टोला–बैजूबिगहा में 5.00 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

कृषि विभाग

25. कृषि महाविद्यालय, किशनगंज का नाम डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज रखने की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

26. पटना में प्रस्तावित साइंस सिटी को डॉ०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी के रूप में नामित किये जाने के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

27. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 11 (ग्यारह) कनीय अभियंता (असैनिक /यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

28. पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 4.268 (14.00 आर०डी०) से 41.311 कि०मी० (135.50 आर०डी०) के बीच नहर के संचालन, निरीक्षण एवं सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 5620.927 लाख है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

29. नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान देने, उसके निर्धारण एवं उनकी सेवा–शर्त्तों के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

30. "Manjhi-The Mountain Man" हिन्दी चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

31. आपदाओं से निपटने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ से अधिक अग्रिम की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव को दिसम्बर 2015 तक के लिए प्राधिकृत करने के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

32. राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8398 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय के लिए ₹ 4000.00 (चार हजार रूपये) मात्र की दर से राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 3,35,92,000.00 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बयानवे हजार रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति। — 32. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

33. राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹ 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 4.00 करोड़ (चार करोड़ रूपये) मात्र अनुदान स्वरूप राशि की स्वीकृति। — 33. स्वीकृत।

गृह विभाग

35. वर्ष 1989–90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा की न्यायिक जाँच के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री एन०एन० सिंह (सेवानिवृत्त न्यायाधीश), पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दिनांक–28.02.2015 को अंतिम रूप से सरकार को समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उसपर कृत–कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन विधानमण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

अन्यान्य

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

36. भारत के पूर्व राष्ट्रपति, स्व० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम का असामयिक निधन दिनांक–27.07.2015 को हो जाने के फलस्वरूप राज्य मंत्रिपरिषद् गहरा शोक प्रकट करती है। 36. **स्वीकृत।**

शोक संदेश

भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'भारतरत्न' डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम का दिनांक 27 जूलाई, 2015 को संध्या समय शिलांग में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे।

वर्ष 1931 में जन्मे डॉ० कलाम बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न अद्वितीय महामानव थे। विज्ञान एवं अध्यात्म के दुर्लभ समन्वय का यह व्यक्तित्व सदा अमर रहेगा। मिसाईल मैन के नाम से प्रख्यात इस सदी के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजे गये। ज्ञान के अथाह सागर अब्दुल कलाम को यह देश जनता के राष्ट्रपति के रूप में सदैव याद रखेगा। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। मनसा वाचा कर्मणा आपने स्वयं को शिक्षक के रूप में भारत के हृदय में स्थापित किया है। भारत को परमाणविक– ऊर्जा एवं मिशाईल की दुनिया में शिखर तक पहुँचाने वाले डॉ० कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।

बिहार के प्रति आपका लगाव हम नहीं भूल सकेंगे। वर्ष 2006 में विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में बिहार के विकास के लिए आपने 10–सूत्री सुझाव दिया था और कहा था कि बिहार का इतिहास गौरवमयी रहा है इसकी विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास होना चाहिए। इसके पश्चात भी डॉ कलाम समय–समय पर बिहार आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इनके निधन से हमने अपना एक पथ प्रदर्शक खो दिया है। बिहार प्रांत के सर्वांगीण विकास के लिए आपके मंत्र हम हमेशा याद रखेंगे तथा आपके बताये मार्ग पर चलते रहेंगे।

मंत्रिपरिषद् ने इस संकल्प की प्रति को रेकर्ड पर रखने एवं शोक संतप्त परिवार को भेजने का निर्णय लिया।

दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने दो मिनट तक खड़े होकर मौन धारण किया।

तत्पश्चात् मंत्रिपरिषद् की बैठक स्थगित की गई।